न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवो के संग अभियान) कैम्प.....

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र एव पटवारी (खाचरिया) व भू.अ.नि. (खाचरिया) की रिपोर्ट तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ / नायब तहसीलदार —— की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व धारा 88 आर.टी.एक्ट के अनुसरण मे ग्राम (श्रीरामपुरा) प0ह0 (खाचरिया) तहसील दातारामगढ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 मे खाता सख्या 27 मे वर्तमान मे दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र. स.	ग्राम / प0ह0	खाता सख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जानी है।)
1	श्रीरामपुरा	खाता संख्या - 27	गौरीशंकर पुत्र मेवाराम	शंकर लाल पुत्र मेवाराम

प्रशासन गांवो के संग अभियान -2021

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर

दिनांक: 08.12.2021

क्रमांक /कैम्प/2021/849

प्रतिलिपिः-

1 तहसीलदार, दांतारामगढ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये। .....को सुचनार्थ।

2 प्रार्थी श्री.....

3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवो के संग अभियान -2021

पीठासीन अधिकारी प्रशासन संग गावों के अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर।

राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर